

162

1

न्यायालय श्रीमान राजस्व मण्डल ग्वालियर (म.प्र.)

क्र.

हरदास लोधी तनय दमरू लोधी
निवासी- कन्नपुर तह. बल्देवगढ़
जिला टीकमगढ़

निगराकार

विरुद्ध

मोती तनय घन्शू लोधी

निवासी- कन्नपुर तह. बल्देवगढ़

प्रति निगराकार



क्रमांक 362
रजिस्टर्ड पोस्ट द्वारा
दिनांक 16-1-2014 को

कलेक्टर श्री केशू कर्ण
राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

R. 359-III/14

9/1/14

निगरानी अंतर्गत धारा 50 मध्य प्रदेश भू-राजस्व संहिता 1959 संशोधित 30-11-2011

निगरानी विरुद्ध अपर कलेक्टर महोदय टीकमगढ़ के आदेश दिनांक 16-1-2014 अपील
123/2010/2011

महोदय निगराकार की ओर से विनय है कि -

(1) प्रस्तुत निगरानी विद्वान अधीनस्त न्यायालय अपर कलेक्टर महोदय टीकमगढ़ के
दिनांक 16-1-2014 से व्यधित

3

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश, ग्वालियर
अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक :- निगरानी-359-तीन/2014

जिला-टीकमगढ़

हरदास लोधी विरुद्ध मोती लोधी

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों के हस्ताक्षर
2-08-2019	<p>प्रकरण का अवलोकन किया गया । यह निगरानी अपर कलेक्टर, जिला-टीकमगढ़ के प्रकरण क्रमांक 123/अपील/2010-11 में पारित आदेश दिनांक 16-01-2014 के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। म0प्र0 भू-राजस्व संहिता 1959 में दिनांक 27-07-2018 को हुये नवीन संशोधन के प्रभावशील दिनांक 25-9-2018 के फलस्वरूप संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(क) के अंतर्गत सुनवाई हेतु प्रकरण आयुक्त सागर संभाग, सागर के न्यायालय को अंतरित किया जाता है।</p> <p>2/ पक्षकार दिनांक 04-11-2019 को आयुक्त के न्यायालय में सुनवाई हेतु उपस्थित हों।</p> <p>(जे०के० जैन) सदस्य</p>	

1
थ
हों
स्थित
। द्वा
स्थि
क ति
ारा
राका
। व
हुआ
त फि
द्वान
रते
वं र